उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-19/2017/वे0आ0-2-887 /दस-01(एम)/2016

लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के संकल्प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016, दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा श्री जी0 पटनायक, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में गठित की गई वेतन समिति में सचिव, वित्त (वेतन आयोग) के पद पर कार्यरत श्री अजय अग्रवाल को सदस्य सचिव नामित किया गया था। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2017/वे0आ0-2-761/दस-2017-01(एम)/2016, दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा सुश्री वृन्दा सरूप, सेवा-निवृत्त आई0ए0एस0 को वेतन समिति का अध्य नियुक्त किया गया है। श्री अजय अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 31 अगस्त, 2017 को समाप्त हो गई है। वर्तमान में श्री मुकेश मित्तल सचिव, वित्त (वेतन आयोग) के पद पर कार्यरत हैं।

अत: श्री अजय अग्रवाल के स्थान पर श्री मुकेश मित्तल, सचिव वित्त (वेतन आयोग) को वेतन समिति का सदस्य सचिव नामित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

<u>पु0संख्या-19/2017/वे0आ0-2-887(1)/दस-01(एम)/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) अध्यक्ष, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, राज्य सम्पति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।